बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–पी0पी0एम0–26/2016– 2793 /कृ0, पटना दिनांक 23-06-2016
प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह– अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

//अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **टाल विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 64.596 लाख (चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ) रूपये में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1.2919 लाख (एक लाख उन्तीस हजार एक सा नब्बे) रूपये की योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार टाल विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 64.596 लाख (चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ) रूपये में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1.2919 लाख (एक लाख उन्तीस हजार एक सा नब्बे) रूपये की योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. टाल विकास योजना 2016–17 राज्य के छः टाल क्षेत्र से अच्छादित जिलों यथाः– पटना, नालन्दा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा में चलाये जायेगें।

(क) उपरोक्त जिलें में प्रत्येक टाल क्षेत्र के प्रखण्डों में चार कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (एफ0 एफ0 एस0) की दर से कुल 128 एफ0 एफ0 एस0 चलाये जायेगें।

(ख) कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (FFS) की अनुमान्य दर 26700/–रूपये है।

(ग) 14 सप्ताह/सत्र तक रब्बी दलहनी फसलों में चलने वाले एफ0एफ0एस0 में 30 कृषक को 5 प्रगतिशील कृषक/ NGO/AEO के साथ AESA (कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण) के द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त योजना फसलों पर कीट व्याधि से बचाव के साथ पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है। प्रशिक्षुओं के चुनाव में सभी वर्ग के कृषकों को चुना जाना है। जिसमें 20% अनुसूचित जाति एवं 2% अनुसूचित जनजाति की सहभागिता आवश्यक होगी। प्रशिक्षुओं में महिला प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जानी है। सभी 30 प्रशिक्षुओं को आई0 पी0 एम0 कीट उपलब्ध कराया जाना है तथा प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 में 5 स्वीपनेट केवल टीम लीडर को कन्टीजेन्ट एक्सपेंडीचर मद की राशि से उपलब्ध कराया जायगा।

(घ) प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 संचालन हेतु दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये जायेगें। प्रत्येक पूर्ण सत्रों (Season) के लिए 1500 रूपये की राशि मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रत्येक एफ0 एफ0 एस0 के लिए एक पौधा संरक्षण कर्मी और एक स्थानीय कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार को प्रतिनियुक्त किया जायगा। जिन्हें जिला स्तरीय दो सत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक सत्र दो दिन का होगा। द्वितीय सत्र में On field demonstration के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षणों में कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि विश्वविधालय के वैज्ञानिक, कृषि पदाधिकारी एवं सेवानिवृत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन प्रशिक्षुकों को प्रत्येक सत्र के लिए मानदेय देय होगा।

प्रत्येक प्रशिक्षु मास्टर ट्रेनर के लिए 450.00 रू0 प्रतिदिन का दर अनुमान्य है। पूर्व वित्तीय वर्ष की तरह मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हेतु संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण के लिए निधि स्वीकृति एवं कार्यान्वयन का प्रस्ताव है।

E:\ABHINAV\2016-17\Tal Vikash Yojana\Tal Vikash Yojana.doc/ (7)

24/6/16

(ड.) अंतिम सत्र के बाद प्रशिक्षित कृषकों का प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया जायगा। जहॉ पर प्रशिक्षित कृषकों के साथ–साथ गैर आई0 पी0 एम0 फिल्ड के कृषक एवं टाल विकास योजना में लाभान्वित कृषकों से विस्तृत चर्चा, विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षकों द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम में भविष्य में सुधार के लिए किए गए सफल / असफल कदमों को अंकित किया जायेगा।

आई0 पी0 एम0 एवं गैर आई0 पी0 एम0 क्षेत्रों में फसल कटनी जॉच किया जायगा, जिससे तुलनात्मक उपज का अध्ययन किया जा सके।

खरपतवारनाशीयों का अनुदान पर वितरणः–

(च) टाल क्षेत्र कटोरेनुमा होने के कारण वर्षा का पानी धीरे–धीरे हटता है साथ ही साथ सितम्बर–अक्टूवर के महीने में खरपतवार जैसे मोथा, बडी दुधी, छोटी दुधी, हजारा, अमरबेल के व्यापक समस्या हो जाती है। इनके फैलाव को प्रारभिक अवस्था में ही नियंत्रण हेतु दलहन बुआई के पहले विभिन्न खरपतवारनाशीयों को उनके मूल्य के 50 प्रतिशत अधिकतम 500 / –रूपये प्रति हे0 की अनुदानित दर से कृषको को उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें। योजना का कार्यान्वियन संबंधित जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जायेगा, इसके नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होगें। कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला एवं खरपतवारी विवरण का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 संलग्न है।

3. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 64.596 लाख (चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ) रूपये में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1.2919 लाख (एक लाख उनतीस हजार एक सौ नब्बे) रूपये का व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 – जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0134–इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–P2401007960134 राज्य योजना स्कीम कोड– ए०जी०आर०–5022 विषय शीर्ष– 27–01 लघु कार्य में उपबंधित राशि 4.00 लाख रू० से विकलनीय होगा।

4. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए कर्णांकित राशि का व्यय इन्हीं लाभुगों पर सुनिश्चित कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कर्णांकित राशि का विचलन अन्य लाभुकों के लिए नहीं किया जाय। जिलों में अनुसूचित जाति / जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राशि व्यय किये जायेंगे। राज्य स्तर पर न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि का व्यय अनुसूचित जाति के लाभुकों पर किया जायेगा तथा 2 प्रतिशत राशि का व्यय अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए किया जायेगा। महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगें। राज्य स्तर पर परियोजना पदाधिकारी टाल विकास परियोजना एवं कतिपय कार्यमद जैसे किसान प्रशिक्षण, किसान भ्रमण कार्यक्रम आदि कार्यान्वियन करेंगे। कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए उप कृषि निदेशक, सूचना जिम्मेवार होंगे। वे आवश्यकता तकनीकी आलेख की तैयारी एवं इसके छपने आदि के लिए जिम्मेवार होंगें।

6. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न अनुसूची–2 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–26/2016 के पृ0सं0– 16/टि. पर दिनांक– 17.06.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 22/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26/2016– 2793 /कृ0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26/2016– 2793 /कृ0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26/2016– 2793 /कृ0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–26/2016– 2793 /कृ0, पटना दिनांक 23-06-2016

प्रतिलिपि– कृषि मंत्री के आप्त सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/6/16

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

E:\ABHINAV\2016-17\Tal Vikash Yojana\Tal Vikash Yojana.doc/ (9)

अनुसूचि– I

टाल विकास योजना 2016–17 अन्तर्गत टाल जिलों के क्षेत्र में कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (**Farmer Field School**) एवं खरपतवारनाशी वितरण का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0सं0	जिला का नाम	जिले का टाल क्षेत्र (हे0 में)	प्रखंड की संख्या	पंचायत की संख्या	कुल FFS(4 FFS प्रति प्रखंड)	कुल राशि (FFS @ 26700/-)	मास्टर ट्रेंनर प्रशिक्षण व्यय @ 450/– प्रति व्यक्ति प्रति दिन (दो दिनों के लिए) 5 रिसोंस परसन सहित दो सत्रों के लिए				खरपतवारनाशी वितरण (लागत मूल्य का 50% अधिकतम 500/–प्रति हे0		कुल राशि (लाख में)
							भौतिक (संख्या में)			वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे0)	वित्तीय (लाख	
							प्रशिक्षु	प्रशिक्षक	कुल				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना	48517	10	110	40	10.68	50	5	55		1780	8.9	19.580
2	लखीसराय	27937.95	3	31	12	3.204	15	5	20		1020	5.1	8.304
3	शेखपुरा	7162.27	2	20	8	2.136	10	5	15		260	1.3	3.436
4	भागलपुर	30460.64	8	136	32	8.544	40	5	45		1100	5.5	14.044
5	मुंगेर	9785.69	4	53	16	4.272	20	5	25		360	1.8	6.072
6	नालन्दा	23929.05	5	57	20	5.34	25	5	30		880	4.4	9.740
7	संयुक्त निदेशक, पौ0 सं0, बिहार, पटना						190X2=380			3.42			3.420
	कुल–	147792.6	32	407	128	34.176	380			3.42	5400	27.00	64.596

(चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ रू0 मात्र)

बैधनाथ कुमार
लिपिक

राजीव कुमार
सहायक निदेशक, पौ0 सं0,
आई0 पी0 एम0

प्रभात कुमार
संयुक्त निदेशक, पौ0 सं0,
बिहार, पटना

टाल विकास योजना 2016–17 अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला (Farmer Field School) एवं खरपतवारनाशी वितरण में कर्णांकित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम एवं आवंटित होने वाली राशि की विवरणी।

क्र0सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना	15.2724	3.9160	0.3916	19.58
2	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, लखीसराय	6.4771	1.6608	0.1661	8.304
3	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शेखपुरा	2.6801	0.6872	0.0687	3.436
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भागलपुर	10.9543	2.8088	0.2809	14.044
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुंगेर	4.7362	1.2144	0.1214	6.072
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नालन्दा	7.5972	1.9480	0.1948	9.74
7	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना	2.6676	0.6840	0.0684	3.42
		50.3849	**12.9192**	**1.2919**	**64.596**

(चौसठ लाख उनसठ हजार छः सौ रू0 मात्र)

Sd/-